

Corporate Office :

A-60, Naraina Industrial Area, Phase-I,

New Delhi-110 028 INDIA

TEL. : 91-11-41411070 / 71 / 72 / 73

E-mail : investors@shyamtelecom.com

Website : www.shyamtelecom.com

SHYAM
TELECOM LTD

SHYAM/SE/2024-25/15

2nd July, 2024

The Manager,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited ("BSE")
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400001
Security Code - 517411
Through BSE Listing Centre

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited ("NSE")
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400001
Security Symbol - SHYAMTEL
Through NEAPS

Subject: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Respected Sir,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the copy of the Newspaper clippings published on 02nd July, 2024, in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), in compliance with Ministry of Corporate Affairs General Circular Nos. 14/2020 dated 08th April, 2020; 17/2020 dated 13th April, 2020; 20/2020 dated 5th May, 2020; 19/2021 dated 08th December, 2021, 02/2022 dated 05th May, 2022 and 10/2022 dated 28th December, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being, General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 intimating that 31st Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 31st July, 2024 at 01.00 pm (IST) through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM).

The aforesaid information will also be hosted on the Company's website at www.shyamtelecom.com.

This is for your information and necessary records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Shyam Telecom Limited

Kirti Kesarwani

Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure as above

Regd. Office : Shyam House, 3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021 (RAJASTHAN) INDIA

Phone : 91- 0141- 4919021

CIN : L32202RJ1992PLC017750

SHYAM TELECOM LIMITED
CIN: L32202RJ1992PLC017750
Regd. Office: Shyam House, 3, Annapali Circle Vaishali Nagar, Jaipur - 302021, Rajasthan, India

INFORMATION PERTAINING TO 31st (THIRTY FIRST) ANNUAL GENERAL MEETING
The 31st (Thirty First) Annual General Meeting ("AGM") of Shyam Telecom Limited ("the Company") will be held on Wednesday, July 31, 2024 at 01:00 PM. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")

By Order of the Board For Shyam Telecom Limited
Kirti Kesarwani
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: July 02, 2024

By Order of the Board For Shyam Telecom Limited
Kirti Kesarwani
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: July 02, 2024

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.

PEPFUELS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
CIN U74999UP2017PTC089309
Registered office: House No. 59A, First Floor, Back Side, Gyan Khand-2 Near Shipra Rivera, Gate No. 1, Indrapuram, Ghaziabad-201014. Contact No.: 9826598712

NOTICE OF FORFEITURE OF FULLY PAID-UP SHARES
WHEREAS the Company had issued first notice of forfeiture on 10th June 2024 to the defaulting shareholder namely M/s True App Private Limited, a Strategic Investor at the address available in the records of the Company i.e. 316/274 Second Floor, Front Portion Saiduji Nagar Western Marg, Garden Of FIVE, Sense Road, New Delhi, 110030 through speed-post EU254458497N dated 10th June 2024 under the Article 29 read with Article 33A of Articles of Association of the Company.

Table with 4 columns: Type of Shares, No. of Shares, Certificate No, Distinctive Nos.
Equity Shares: 4922, 9, 17351-22272

By Order of the Board of Directors For Pepsu Technologies Private Limited
Pratik Kathil (Director)
DIN: 07884949
Dated: 02.07.2024

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
Circle Sastra South Delhi, Upper Ground Floor, 7 Bhkaji Cama Palace, NEW DELHI-110066, Email: cs4168@pnb.co.in

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
CIRCLE SASTRA, NOIDA
1ST FLOOR, GAMA SHOPPING CENTRE, GAMMA- 1, GREATER NOIDA, UP- 201308 (EMAIL: cs8290@pnb.co.in)

POSSESSION NOTICE (For immovable property)
WHEREAS, the undersigned being the authorized officer of the Punjab National Bank, Circle Sastra, Noida, 1st Floor, Gama Shopping Centre, Gamma-1, Greater Noida, UP-201308, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 13/01/2023 (Published in Newspaper on 08/03/2023) Calling upon the Borrower(s)/ Guarantor(s) (1) Sh. Manish Agarwal S/o Banwari Lal, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,43,59,937/- (Rupees One Crore Forty Three Lakh Fifty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Seven Only) as on 31.12.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 01/01/2023.

By Order of the Board of Directors For Pepsu Technologies Private Limited
Pratik Kathil (Director)
DIN: 07884949
Dated: 02.07.2024

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank
SAMVERT 1st Floor, Plate B, Block 3, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 E-mail: ho.samvertical@psb.co.in

[APPENDIX-IV-A] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
E-Auction Sale Notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to the secured creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab & Sind Bank (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis for realization of bank dues. The same will be done through E auction platform provided at web portal (https://www.banksauctions.com).

Table with 4 columns: Name of the Borrower & Guarantors, Description of Properties, Minimum Reserve Price, Demand Notice details. Includes details for M/s. Kissan Petro Oils Pvt. Ltd.

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
Circle Sastra South Delhi, Upper Ground Floor, 7 Bhkaji Cama Palace, NEW DELHI-110066, Email: cs4168@pnb.co.in

CS/4168/Auction/11 Date: 13.06.2024
M/s Shree Ganesh Sheets proprietor Mr Satbir Saini, Khasra No 714 Opposite Param Engineering, Basal Enclave, Gurugram Haryana-122001
Satbir Saini S/o Kuria Ram Saini, House No 22, Gali Shiv Mandir, Shalimar village, North West Delhi, New Delhi-110088
Jai Bhagwan S/o Hukam Chand, 565, Ward No4, near Dashehra ground, Meham Rohak Haryana-124112

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank
E-AUCTION (Sale through E-Auction only)

Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to the secured creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab & Sind Bank (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis for realization of bank dues. The same will be done through E auction platform provided at web portal (https://www.banksauctions.com).

Table with 4 columns: Name of the Borrower & Guarantors, Description of Properties, Minimum Reserve Price, Demand Notice details. Includes details for M/s. Kissan Petro Oils Pvt. Ltd.

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank
CIRCLE SASTRA : GHAZIABAD
KJ-13 KAVI NAGAR GHAZIABAD 201001, PHONE NO :- 8295961765, 8283810870 EMAIL ID :- cs8228@pnb.co.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS
Table with 10 columns: Lot No., Name of the Branch, Name of the Account, Name & addresses of the Borrower/Guarantors Account, Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name, A) Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002, D) Outstanding Amount, E) Reserve Price (Rs. in Lacs), F) EMD, Date/Time of E-Auction, Property Inspection Date & Time, Details of the encumbrances known to the secured creditors, Authorised Officer.

TERMS AND CONDITIONS:
1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:
2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule here in above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com 5. For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in. 6. All statutory dues/attendant charges/other dues including registration charges, stamp duty, Tax etc shall have to be borne by the Purchaser and also the authorised officer or the bank shall not be responsible for any charges, lien in encumbrance are any other dues to govt or any one else in respect of Property (e-auctioned) not known to the bank the intending bidder is intended to make there on independent inquiries regarding the encumbrance on the property including statutory liabilities, arrears of Property tax, electricity dues etc.

राहुल गांधी ने अति गैर जिम्मेदाराना बयान दिए : वैष्णव

जनसता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जुलाई।

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। मामले में भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी ने आज सदन में अति गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि आज रक्षामंत्री ने सदन में ही स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। कांग्रेस ने हमेशा सेना पर सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने अध्यक्ष के पद पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में परिवारों को मुआवजा देने के मामले में भी गलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,253 करोड़ का

मुआवजा दिया गया है। इस संयुक्त संवदादाता सम्मेलन में किरन रिजजू व सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हुए इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने भाषण में झूठ और नफरत का मिश्रण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पहले दिन का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि तीसरी बार असफल विपक्ष के नेता के उत्तेजित होने और वृष्टिपूर्ण तर्क करने की आदत है। उनके भाषण ने दिखाया कि न तो वह 2024 के जनादेश (उनकी लगातार तीसरी हार) को समझ पाए हैं और न ही उनमें कोई विनम्रता है।



लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के सामने झुके : राहुल गांधी
जनसता ब्यूरो : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि अध्यक्ष ओम बिरला जब

प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो झुककर अभिवादन किया, लेकिन उनसे सीधे खड़े होकर हाथ मिलाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे संसदों और संस्कृति का पालन करते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के दिन का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने एक चीज महसूस की। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े रहे और मुझसे हाथ मिलाया। जब मोदी जी ने आपसे हाथ मिलाया तो आपने झुककर उनसे हाथ मिलाया। इस पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने कहा कि यह आसन का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि वे उनकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन इस सदन में आपसे बड़ा कोई नहीं है। यहां आपकी बात आखिरी बात होती है। आप जो कहते हैं, वह भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करता है।

‘सकारात्मक सुझाव’ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को शर्मसार नहीं किया। वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराम पासवान ने कहा कि कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में केवल ‘निराधार टिप्पणियां’ कीं और सदन में कोई

करना शुरू कर दिया है। पासवान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा को घटाने का भी आरोप लगाया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बारे में पूछे जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराम ने

राहुल कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते : प्रियंका गांधी
जनसता ब्यूरो : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को कहा कि उनके भाई और



लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते और उन्होंने सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं उसके नेताओं के बारे में बोला है। प्रियंका सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण को सुनने संसद भवन पहुंची थीं। प्रियंका ने अपनी मां और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी से साथ लोकसभा की दीर्घा से राहुल गांधी का भाषण देखा। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने भाजपा पर देश में हिंसा, नफरत तथा डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ‘ये लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI		अध्यक्ष डेप्यू चियरमन	
अधोलोकसभा में बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय ऑपरिंग्स का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अंतर्गत समर्पित नियम 3 के तहत प्रस्तुत शक्तियों के अनुश्रवाण में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना प्राप्त के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणगृहित/जमानतदार के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणगृहित/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलोकसभा में उक्त एक्ट को धारा 13(4) समर्पित उप नियम के 8 और 9 के तहत प्रस्तुत शक्तियों के अनुश्रवाण में एफिमिन नीचे वर्णित समर्पितियों का सांकेतिक/भौतिक अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणगृहित/जमानतकर्ता को विनिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्वारा समर्पित के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त समर्पित का किसी प्रकार से कोई डाकू इष्टि/घात, आग या अन्य अपराध, ब्याज एवं अन्य व्यय को धार के अधीन होगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है - अधिनियम के नियम 13 के उप नियम (8) के प्रावधानों को और ऋणी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वह उपलब्ध समय में अपनी समर्पित को बुझा लें।	कर्मों की दिनांक : 25.06.2024 बकाया धनराशि धारा 13(2) के अनुसार मांग सूचना की तिथि : 19.03.2024		
खाताधारक/गारंटर का नाम	वंधक समर्पित का विवरण/समर्पित मालिक का नाम	कर्मों की दिनांक	बकाया धनराशि धारा 13(2) के अनुसार मांग सूचना की तिथि
शाखा : अलीगढ़ मेन			
ऋणी - मेसर्स अरुण डेवरो (ग्रेप. अरुण कुमार), गारंटर - श्री विजय कुमार, दौनों का पता - गांव दोंतोक पट्टा घिसाती, तहसील इलाहाबाद, अलीगढ़	1. बंधक समर्पित स्थित प्लॉट नंबर 42, खेत नंबर 186 केए का भाग, मोहल्ला दयाल नगर, मौजा इलाहाबाद, अलीगढ़, परिसर: 188-54 वर्ग मी., समर्पित श्री अरुण कुमार एवं श्री विजय कुमार के नाम, चौदौटी-50, रास्ता 20 फीट चौड़ा, परिसर- प्लॉट नं. 43 क्रेता, उतर- रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण- प्लॉट नं. 50 2. बंधक समर्पित स्थित प्लॉट नंबर 43, खेत नंबर 186 केए का भाग, मोहल्ला दयाल नगर, मौजा इलाहाबाद, अलीगढ़, परिसर: 188-54 वर्ग मीटर, समर्पित श्री अरुण कुमार एवं श्री विजय कुमार के नाम, चौदौटी-50, प्लॉट राम किशोर, परिसर- प्लॉट अन्य, उतर- रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिण- प्लॉट अन्य	₹ 1,01,52,309.07 + ब्याज व अन्य छत्रे	25.06.2024 19.03.2024
दिनांक : 02-07-2024	स्थान: अलीगढ़	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया	

N3 NOBLEBANK		नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय: प्रभात हिल, एम.पी. रोड-1, स्वप्नाग्रपुर, सेक्टर-22, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यू.पी.	
निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की विक्री हेतु सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के तहत			
सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अचल संपत्तियों की विक्री के लिए विक्री नोटिस और सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए उक्त अधिनियम और नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हुए भौतिक कब्जे के अनुसार बनाए गए नियम, निर्यात ट्रेडवेल और पारुल इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दिनांक 23.03.2023 और 25.06.2024 को आयोजित पिछड़ी ई-नीलामी में संचालित खरीदारों द्वारा किसी भी सधि/भारिगदारी के अभाव में, प्राधिकृत अधिकारी ने सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्दिष्ट "निजी सधि" के माध्यम से यहां वर्णित सुरक्षित संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है।			
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (प्रतिभूति लेनदार) के पास बंधक रखी गई अचल संपत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 19-07-2024 को "निजी सधि" के माध्यम से बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) या गारंटर(ओं) से बकाया राशि की वसूली हेतु उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं), सुरक्षित संपत्ति, कुल बकाया, आरक्षित मूल्य और बचाना राशि जमा का विवरण नीचे दिया गया है-			
कर्मदार / गारंटर का नाम	ऋण बकाया राशि	आरक्षित मूल्य, ईएमपी, ईएमपी जमा खाता नं. और IFC कोड	अचल संपत्ति का विवरण-
श्री कालू सिंह चौहान (मैसर्स निर्यात ट्रेडवेल के प्रोपराइटर और कर्मदार), सुशी माया देवी (सह-उधारकर्ता), श्री मुकुेश कुमार (गारंटर)	रु. 61,92,657/- (61.92 लाख बाने हजार छः सौ सत्तान्न मातृ) दिनांक 31.08.2021 तक साथ में स्वीकृत साधारण ब्याज, दंडात्मक ब्याज, कानूनी ब्याज, आकर्षक ब्याज, वसूली ब्याज और अन्य शुल्क आदि	आरक्षित मूल्य: रु. 60,00,000 जमा धरोहर राशि: रु. 6,00,000/- खाता नं. 9999001004421 IFC कोड YESBONCB001	व्यवसायिक दुकान नं. बी-18 (उत्त के अधिकार सहित), खसरा नं. 16 एणु, ग्राम खटपुर, परराना और तहसील-बदरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
मैसर्स पारुल इलेक्ट्रॉनिक्स इसके प्रोपराइटर द्वारा राजेश सिंह गुप्ता और गारंटर (श्री रावीशंकर रंजन ठिंका)	रु. 10,63,744/- (6.25 लाख तिरसठ हजार सात सौ चौबीसवीं मातृ) दिनांक 30.07.2021 तक साथ में स्वीकृत साधारण ब्याज, दंडात्मक ब्याज, कानूनी ब्याज, आकर्षक ब्याज, वसूली ब्याज और अन्य शुल्क आदि	आरक्षित मूल्य: रु. 8,00,000/- जमा धरोहर राशि: रु. 1,00,000/- खाता नं. 9999001004421 IFC कोड YESBONCB001	रिश्वाण मशी छोख प्लैट न्योक 343-बी, द्वितीय तल, ब्याज खंड-3, इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद में स्थित

- यह नोटिस दिनांक **29.06.2024** के विक्री नोटिस के अनुसार है, जो **01.07.2024** को फाइनेंशियल एक्सेस और जनसता समाचार पत्र (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित हुआ था और **29.06.2024** को सुरक्षित परिसंपत्ति की भी विषयकथा गया था।
- कब्जे की स्थिति: भौतिक**
- बैंक को प्राप्त देने की अंतिम तिथि और समय: 18.07.2024 शाम 4:00 बजे तक**
- निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की विक्री की नियम और शर्तें**
- निजी संधि के माध्यम से विक्री दिनांक **19-07-2024** को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर होगा। वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के प्राधानों के साथ पठित (इसके बाद इसे 'नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)।
 - संचालित क्रेता से अनुरोध है कि वह संपत्ति खरीदने हेतु निर्धारित प्रारूप (बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध) में बैंक को प्रस्ताव दे। अधिकारी उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। संचालित क्रेता को निर्माता/विक्रेता/वसूली के साथ आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत ईएमपी के साथ प्राधिकृत अधिकारी को (निर्धारित प्रारूप) में आवेदन जमा करना चाहिए। पेन कार्ड (अनिवार्य), वे. वोटर आईडी/विजली बिल/पासपोर्ट/बैंक खाता विवरण/पता वाला फोटो अन्य वेध और स्वीकार्य दस्तावेज (पता प्रमाण के रूप में) क। कंपनी के मामले में, उपरोक्त के साथ, बोर्ड संकल्प कंपनी के अधिकारियों को निजी संधि द्वारा विक्री में भाग लेने हेतु अधिकृत है। घ. प्राधिकृत अधिकारियों के मामले में उचित प्राधिकरण की प्रती। ड. फोन/मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी।
 - जमा बर्हर राशि (ईएमपी) बैंक, डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से खाता सं. **9999001004421** में जमा की जाएगी। **खाता नाम: सरफेसी ई-नीलामी, नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आरक्षितपरसही कोड: YESBONCB001**
 - आवेदन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, बैंक इसका भूनामक करेगा और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करेगा और निजी संधि के माध्यम से विक्री के नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए संचालित खरीदार को सुरक्षित संपत्ति की विक्री के प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा।
 - क्रेता को विक्री राशि (ईएमपी राशि सहित) का 25 प्रतिशत राशि उचित दिन जमा करना होगा या बैंक की परेडवॉक की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले पांच दिवस पर और शेष 75 प्रतिशत राशि 30 दिन के अंतर्गत जमा करनी होगी। या ऐसी तिथि/तिथि अग्रिम पर ए.ओ./बैंक और क्रेता के बीच लिखित रूप में सहमति हो सकती है, किसी भी स्थिति में तीन बार तक अधिक नहीं।
 - उपरोक्त खंड (5) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफलता पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि 10 प्रतिशत सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब तक ली जाएगी। और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई विक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोली लगाने वाले की राशि को वापस कर लेनी जाएगी और संपत्ति पर कब्जे दबा नहीं होगी।
 - बैंक द्वारा क्रेता के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10 प्रतिशत राशि को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
 - सम्पूर्ण विवरण प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा। क्रेता को सभी लागू स्टैप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क आदि वहन करना होगा। विक्री प्रमाणपत्र में आवेदन में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/संशोधन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। विवरण प्रमाणपत्र केवल आवेदक क्रेता के नाम पर जारी किया जाएगा। विक्री प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ डीआरटी/डीआरएफ्ट/उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा पारित किसी भी स्थान/निषेधाज्ञा/निरोधक आदेश के तंत्रित रहने तक विक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
 - बैंक बिना कोई कारण बताए क्रेता के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
 - बैंक को इस नोटिस के तहत बताए गए किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है।
 - संचालित संपत्ति के मामले में, बैंक उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करेगा या इच्छुक खरीदारों के बीच परस्पर बोली आयोजित कर सकता है।
 - अचल संपत्ति के मामले में, विक्री पर विचार का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और बोली राशि को शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के समय ही क्रेता द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। बल संपत्ति के मामले में, सफल संचालित खरीदार को बैंक को विक्री राशि के अलावा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) या किसी अन्य लागू कर का भुगतान करना होगा।
 - संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य का भार के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता बैंक किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
 - क्रेता को अपनी संप्रति के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से विक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। संपत्ति **"जहां है जैसी है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जा रही है और संचालित खरीदार को अपनी विक्रेकृत्य स्वतंत्र पुष्टात करने चाहिए और संबंधित रजिस्ट्रार/एसआरओ/रवेनु रिटर्न/आरटीओ/को सत्यापित करना चाहिए। बैंक के प्रचार के अलावा विक्री कर, उत्पाव शुल्क/जीएसटी/आयकर जैसे किसी भी प्राधिकारी के दायित्वों और दायों/अधिकारों/बकाया/भारों के संबंध में अन्य वैधानिक प्राधिकारी सौंपक प्रेषित, विवरण, सीमा, गुणवत्ता, मात्रा के संबंध में खुद को संतुष्ट करेंगे। अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति पर स्थिति, भार, प्रदूषण/अधिकार, शुल्क, वैधानिक बकाया आदि। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के ऋण/दावे/अधिकार/बकाया हेतु किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। विक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में बैंक कोई अनुपस्थित/लाहर्स, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्रेता को जल/सेना शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, विद्युत बकाया और नगर नियम/स्थानीय प्राधिकारी/संरक्षारी आवास सोसायटी को देय सभी बकाया राशि वहन करनी होगी। या संपत्ति की विक्री के संबंध में 'अ' और 'ब' कोई अन्य बकाया, कर, लेवी, शुल्क, हस्तगत/शुल्क यदि कोई हो। क्रेता इस संबंध में बाद की तारीख में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दाय कराने का हक्कार नहीं होगा।
 - इच्छुक क्रेता/प्रस्तावकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे विक्री के उपरोक्त नियमों और शर्तों को ठीक से पढ़ें और उनका सहजी से पालन करें।
 - विक्री संरफेसी अधिनियम 2002 और उसके तहत बनाए गए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
 - इच्छुक पार्टियों अधिक जानकारी/संपत्ति निरीक्षण/किसी स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी के नाम का विवरण: राघव चारदाम (बैंक के डिप्टी सीईओ), पता: प्रधान कार्यालय, पहाडी मॉडल, एम.पी. रोड-1, सेक्टर-22, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ईमेल आईडी: deputyceo@noblebank.in, ncnbnoida@gmail.com फ़ोन नंबर: 0120-4503010, 0120-4503013

दिनांक: 02-07-2024, स्थान: नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

धनखड़ ने प्रधानमंत्री व आरएसएस से संबंधित खरगों की टिप्पणियों को कार्यवाही से बाहर किया

जनसता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जुलाई।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों की आलोचना की और सतारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वैचारिक मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ भी आरोप लगाए। हालांकि, सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी ज्यादातर टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जोर देकर कहा कि वह केवल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों की विभाजनकारी प्रकृति को सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की। करीब 90 मिनट के अपने भाषण में खरगे ने बार-बार आरएसएस और उससे जुड़ी हरितियों का आक्षेप किया। देश में शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हुए, खरगे ने आरएसएस के बारे में कुछ आरोप लगाए।

खरगे ने कहा कि उनके पास अखबार की ढेर सारी कतरने हैं जो उनकी बातों की पुष्टि करती हैं। हालांकि, सभापति ने अखबारों की कतरनों को पुष्टि के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। खरगे का उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने समर्थन किया। उन्होंने पूछा कि एक विपक्षी सांसद खबरों का हवाला देने के अलावा कैसे प्रमाणित कर सकता है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। हालांकि, सभापति ने दलीलों को स्वीकार नहीं किया और खरगे द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही से हटा दिया।

खरगे ने कहा कि यदि मौजूदा स्थिति नहीं सुधरी तो देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता खरते में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्व में देश की शिक्षा डिग्री को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शीर्ष एवं अन्य पदों पर एक खास विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया है।

जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई

जनसता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जुलाई।

समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्य जया बच्चन को सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि जया बच्चन को उन्होंने अपने कक्ष में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि

जया बच्चन ने संविधान के अनुसार निर्धारित शपथ ली। उन्होंने कहा 'शपथ के लिए नियत शब्दों को ही पढ़ना चाहिए तथा इसके पश्चात् या आखिर में अतिरिक्त शब्दों अथवा वाक्यों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।' सभापति का संकेत संभवतः कुछ उन सदस्यों की ओर था जो शपथ लेने के बाद सदन में अलग-अलग नारे लगाते हैं।

समस्या
सूत में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद एक कार पर गिरा पेड़।

गठबंधन की सरकार को अब जनकेंद्रित फैसले लेने होंगे : राजद

जनसता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जुलाई।

सरकार पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतर सका का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कहा कि गठबंधन की सरकार को अब दबाव में ही सही जन केंद्रित फैसले लेने होंगे जबकि बीआरएस ने दल-बदल के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग की।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले रहे राजद के मनीज कुमार झा ने कहा कि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है लेकिन उनकी बेरोजगारी की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो देश की शिक्षा प्रणाली पर अब युवाओं की भरोसा है और न ही उन्हें नौकरी मिल पाने की उम्मीद है। उन्होंने जातिगत जनगणना किरए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होने पर वंचितों को उनका अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने मांग की जातिगत जनगणना का आधार पर आरक्षण का आधार बढ़ा कर उसे नौवीं अनुसूची में डाला जाए। झा ने कहा कि आय की असमानता इस देश की तत्काली की निगल रही है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र में गठबंधन की सरकार है

एनआइए ने इंजीनियर रशीद को सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए सहमति दी

जनसता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जुलाई।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को पांच जुलाई को सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए सोमवार को एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी सहमति दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्र जीत सिंह इस पर मंगलवार को आदेश पारित करेंगे। एनआइए के वकील ने कहा कि रशीद को कुछ शर्तों के साथ शपथ लेने की मंजूरी दी जानी चाहिए जैसे कि वह मीडिया से बात न करे। उन्होंने यह भी

कहा कि रशीद को सभी औपचारिकताएं एक दिन के भीतर पूरी करनी होंगी। रशीद अभी तिहाड़ जेल में हैं। बारामूला से निर्दलीय सांसद रशीद को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने शपथ लेने और अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। यहां एक विशेष अदालत ने 22 जून को मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी और एनआइए से जवाब मांगा था। एजेंसी इस मामले पर संसद तथा जेल प्राधिकारियों से परामर्श ले रही थी।

श्याम टेलीकॉम लिमिटेड
 सीआरएफः L32202RJ19922PLC017750
 पंजीकृत कार्यालय : श्याम हाउस, 3, आंधाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपुर - 302021, राजस्थान, भारत
 दूरभाष : 91-141-4025631 एवं 91-141-5100310
 निगमित कार्यालय : 7 - 60, नारायण औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028
 दूरभाष : 91-141-4025631 एवं 91-11-44141071/72 फ़ैक्स : 91-11-25792194
 वेबसाइट : www.shyamtelecom.com, ईमेल : investors@shyamtelecom.com

31वीं (इकतीसवीं) वार्षिक आम बैठक से संबंधित जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्याम टेलीकॉम लिमिटेड ('कंपनी') की 31वीं (इकतीसवीं) वार्षिक आम बैठक ('बैठक') बुधवार, 31 जुलाई, 2023 को मध्या 11:30 बजे (आइएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वीडियो')/अथ ऑनलाइन डिवाइस संचालना ('ऑनलाइन') के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जिस बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विधिवत नियमावली के साथ पठित लागू प्रक्रियाओं तथा एमडीए जनरल सर्कुलर नंबर 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 जो एमडीए जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 20/2020 दिनांक 05 मई 2020; 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 और 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 तथा 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 ('एमडीए परिपत्र') के साथ पठित, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियामककी 2016 ('सूचीबद्धता विनियामकली') जो कि सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021; 13 मई 2022 एवं 05 जनवरी, 2023 तथा 7 अक्टूबर 2023 ('सेबी परिपत्र') के साथ पठित है, के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का, संचालन किया जायेगा।

उपरोक्त एमडीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना, कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा रही थी, जिनके नाम शुक्रवार 28 जून 2024 को व्यवसायिक षष्टे दिवस होने के समय पर शेरशुद्ध ट्रान्सफर एजेंट, इंस्टॉल शेरशुद्ध लिमिटेड (पूर्व में इंडस पॉर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड (विहित))/ डिवाइजिटी पार्टिसिपेट के साथ पठित/ईमेल में इसका अतिरिक्त, उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.shyamtelecom.com और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर तथा एमएसडीसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगी।

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार सभी व्यवसायों पर कंपनी के समस्त सदस्यों के लिये रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करेगी। इसके अतिरिक्त, अमीतिक अथवा भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले वाले सदस्यों द्वारा एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग की विधि के साथ ही साथ उन सदस्यों द्वारा ई-वोटिंग के लिये लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के अनुदेश, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं, एजीएम की सूचना में वर्णित किये जायेंगे।

ई-मेल पते को पंजीकृत करने / अद्यतन करने की प्रक्रिया:
 (क) भौतिक प्रारूप में वास्तव अंश : कृपया पैन और केवाईसी विवरणों को अन्य प्रासंगिक प्रश्नों और प्रलेखों के साथ भिवित करें एवं हरद्वारा विनिर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के साथ जमा करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेरशुद्ध ट्रान्सफर एजेंट, इंस्टॉल शेरशुद्ध लिमिटेड (पूर्वतन इंडस पॉर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड), जी-65, बाली नगर, नई दिल्ली - 110015 पर shankar.k@indusinvest.com / [rs](mailto:rs.kushwaha@indusinvest.com)